UPMP010004242026

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP**02022

जमानत प्रार्थना पत्र सं० 193/2026

शिवा उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र स्व० रसकलाल कश्यप निवासी ग्राम सिरसा थाना कुरावली,जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

आदेश

1– प्रार्थी/अभियुक्त शिवा **की ओर से यह प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 15/2026 अन्तर्गत धारा–108 बी.एन.एस. थाना–कुरावली** जिला मैनपुरी में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि '' प्रार्थी महावीर पुत्र स्व० श्री मिहीलाल ग्राम लालपुर वुजर्ग पोस्ट गडिया जगनाथ थाना राजा का रामपुर जिला एटा का मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी बेटी पूनम का विवाह वर्ष 2013 में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शिवा पुत्र रसकलाल कश्यप निवासी ग्राम सिरसा थाना कुरावली जिला मैनपुरी के साथ किया था। बेटी की शादी में मैंने दो लाख रूपये नकद, एक तोला सोने की जंजीर,एक सोने की अंगूठी वजन करीब 05 ग्राम व एक भैंस जिसकी कीमत करीब एक लाख रूपया व घर मे प्रयोग में लाये जाने वाले बर्तन आदि दिये थे। विवाह के कुछ समय तक मेरी बेटी पूनम को मेरे दामाद शिवा पुत्र रसकलाल ने सही सलामत रखा कुछ समय बाद मेरी बेटी को मेरे दामाद शिवा पुत्र रसकलाल, संदीप, गौरव करन, विकास, पुत्रगण रसकलाल श्रीमती मीनादेवी पत्नी रसकलाल आदि सभी लोग मेरी बेटी के साथ मारपीट करने लगे थे और एक लाख रूपये की माँग आये दिन करते थे और कई बार मेरी बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था, जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना कुरावली जिला मैनपुरी में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। समाज व रिश्तेदारों के समक्ष सामाजिक समझौता होने पर मेरी बेटी पूनम ग्राम सिरसा थाना कुरावली जिला मैनपुरी में अपनी ससुराल में रह रही थी। दिनाक 09/01/2026 को समय करीब 6.30 बजे सुबह मेरी बेटी पूनम को मेरे दामाद शिवा पुत्र रसकलाल संदीप, गौरव, करन, विकाश पुत्रगण रसकलाल, श्रीमती मीनादेवी पत्नी रसकलाल

आदि सभी लोग मेरी बेटी को मकान के अन्दर मारकर फांसी के फन्दे पर लटका दिया। मेरी बेटी पूनम की मृत्यु की सूचना मुझे फोन पर गाँव सिरसा के अन्य रिश्तेदार द्वारा दी गयी थी। हम लोगो ने गाँव सिरसा आकर जानकारी की तो मेरी बेटी के पुत्र आशीष पुत्र शिवा ने रोते हुये बताया कि मम्मी को पापा शिवा, दादी मीना व संदीप गौरव करन विकाश पुत्रगण रसकलाल ने मारकर फांसी के फन्दे पर लटका दिया है जिससे मम्मी की मृत्यु हो गयी । घटना दिनांक 09.01.2026 समय करीब 06.30 बजे दिन की है। मेरी रिपोर्ट लिखकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी /अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने घटना से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझकर के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। इसका कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जनता का कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त ने अपनी पत्नी पूनम को कभी भी मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान नहीं किया और न ही कभी दहेज उत्पीड़न किया। प्रार्थी अभियुक्त की शादी वर्ष 2013 में हुई थी। तब से प्रार्थी अपने भाइयों से पत्नी के कहने पर अलग कर रहा था और अपना परिवार सही ढंग से चला रहा था। प्रार्थी अभियुक्त के दो पुत्र है जिसके नाम आशीष व शेजल हैं। प्रार्थी घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। प्रार्थी की पत्नी जिद्दी स्वभाव की थी। अपने बच्चों की शैतानी की वजह से मारपीट की और आत्महत्या कर ली। प्रार्थी के ससुर महावीर सिंह ने गांव वालो के बहकावे में आकर झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। प्रार्थी के परिवार वालो ने घटना की सूचना पत्नी के मायके वालो को दी थी और पत्नी के मायके के सभी व्यक्ति/परिवार वाले उनके अन्त्येष्टी में सभी शामिल हुए थे उसके बाद पंचायत भी हुयी थी। लालच में आकर झूठी रिपोर्ट लिखा दी थी। प्रार्थी अपनी जमानत देना चाहता है। तथा दौरान मुकदमा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि वादी मुकदमा की पुत्री का विवाह आवेदक/अभियुक्त के साथ वर्ष 2013 में हुआ था,जिसकी हत्या दिनांक 09–01–2026 को आवेदक/अभियुक्त एवम उसके परिवारीजनों द्वारा एक लाख रूपए की अतिरिक्त दहेज की माँग पूरी न होने के कारण कर दी गयी। पत्रावली में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Asphyxia due to antemortem hanging अंकित है। गर्दन पर नीलगू निशान के

अतिरिक्त और कोई चोट नहीं पायी गयी है। पुलिस को दिए गए बयानों में वादी मुकदमा व अन्य करीबी रिश्तेदारों ने आवेदक/अभियुक्त द्वारा दहेज मांगे जाने और इसके लिए मृतका को प्रताड़ित किए जाने के तथ्य से इंकार किया गया है। अभियुक्त दिनांक 11–01–2026 से जेल में निरूद्ध है। वाद के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त न करते हुए,अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

1– तद्नुसार अभियुक्त **शिवा** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा मुव. 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के, दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनाँकः03–04–2026

(रूपेश रंजन**)**
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.04.03 16:57:01 +0530